जवाहरलाल नेहरु विश्वविदयालय JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY नईदिल्ली-११००६७

NEW DELHI-110067 SC/ST/OBC CELL

JNU/SCT/OBC/Circular/2021/ 2529

20th September 2021

CIRCULAR

It is hereby notified for information of all concerned that the Executive Council in its 296th Meeting held on 02.09.2021 has approved the following:

- Patients i.e., students and pensioners of JNU shall have the choice to collect medicines (a) not available with the Health Centre, JNU, from any of the two chemist shops (Apollo Pharmacy & Madan Chemist) on credit basis, provided minimum 17.5% discount on MRP is given on the medicines on production of valid slip from JNU Health Centre.
- Pensioners shall have the option to purchase the medicines not available with the (b) Health Centre, JNU from any other medical shop outside the campus on non-credit basis, provided that minimum 17.5% discount is offered for medicines by the pharmacy shops. These claims shall be admitted by the concerned cell (SC/ST/OBC Cell), as the procedure. Reimbursement shall be only admitted on equivalent to the discounted amount (after discount of minimum 17.5% on MRP). In case of difference, same shall be borne by the retired employee/dependent.
- Both the shops should display the timings of shops outside the shop for information of the public. Both the chemist shops shall remain open for 16 hours per day in a week (16x7).
- The University has discretion to purchase medicines from any other source.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Deputy Registrar

SC/ST/OBC Cell

To.

All concerned.

CC to:

- Dean of Students.
- OSD to the VC,
- PS to Rectors/Registrar/FO/DoA

Please arrange to display on the notice boards of Health In-charge, Health Centre:

Centre for information of retired employees/ beneficiaries

For uploading at the University website Director, CIS:

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारत

जेएनय्/एससीटी/ओबीसी/परिपत्र/2021/ 2529

20 सितम्बर, 2021

<u>परिपत्र</u>

सभी संबंधित की सूचना के लिए एतद्दवारा अधिसूचित किया जाता है कि दिनांकः 02.09.2021 को हुई कार्य परिषद् की बैठक में निम्नलिखित को अनुमोदित किया गया है:-

- (क) रोगी अर्थात् जेएनयू के छात्र और पेंशनभोगियों के पास जेएनयू के स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध न होने वाली दवाइयों को दोनों दवाई की दुकानों (अपोलो फार्मेसी और मदान केमिस्ट) में किसी से भी क्रेडिट आधार पर लेने का विकल्प होगा, बशर्ते जेएनयू स्वास्थ्य केंद्र की वैध पर्ची के प्रस्तुत करने पर इन दवाइयों के एमआरपी पर न्यूनतम 17.5 प्रतिशत की छूट दी गई हो।
- (ख) पेंशनभोगियों के पास जेएनयू स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध न होने वाली दवाइयों को परिसर से बाहर किसी अन्य दवा की दुकान से नॉन क्रेडिट आधार पर दवाइयां खरीदने का विकल्प होगा बशर्ते दवा की दुकान से दवाइयों पर न्यूनतम 17.5 प्रतिशत की छूट दी गई हो। इन दावों को प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रकोष्ठ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. प्रकोष्ठ) द्वारा स्वीकार किया जाएगा। एमआरपी पर न्यूनतम 17.5 प्रतिशत की छूट देने के बाद समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि राशि में कोई अंतर होता है तो उस राशि का वहन सेवानिवृत कर्मचारी/आश्रित द्वारा किया जाएगा।
- (ग) दोनों दुकानों पर जनसूचना के लिए दुकान के बाहर दुकान के खुलने व बंद होने का समय लिखा होना चाहिए। दोनों दवाइयों की दुकानें सप्ताह में (16X7) प्रतिदिन 16 घंटे खुली रहेगी
- (घ) विश्वविद्यालय को किसी अन्य स्रोत से दवाइयां खरीदने का विवेकाधिकार है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जगदीश सिंह) उप कुलसचिव

एस॰सी॰/ एस॰टी॰/ अ॰पि॰व॰ प्रकोब्ठ

सेवा में,

सभी संबंधित ।

प्रतिः

- डीन (छात्र)
- क्लपति के विशेष कार्यअधिकारी
- कुलदेशिक/कुलसचिव/वित अधिकारी/निदेशक, प्रवेश
- प्रभारी, स्वास्थ्य केंद्र कृपया पेंशभोगियों/लाभार्थियों की सूचना के लिए इस परिपत्र को स्वास्थ्य केंद्र के
 सूचनापट्ट पर लगवाने के अनुरोध के साथ।
- निदेशक (सीआईएस) इस परिपत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।